

राजनीति विज्ञान

धर्म निरपेक्षता

अध्याय – सार

- : किसी भी धर्म पर आधारित न होना ही धर्म निरपेक्षता है।
- : धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्म एक समान समझे जाते हैं।
- : भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है।
- : 24वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है।
- : धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी व्यक्ति धार्मिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं।
- : कमाल अतातुर्क तुर्की के शासक थे, उनकी धर्म निरपेक्षता आधुनिकता से जुड़ी हुई है।

वर्तमान में मनुष्य ने अत्यधिक भौतिक उन्नति कर ली है जिससे धर्म का परिक्षेत्र भी अछुता नहीं है। अनेक देशों में धार्मिक रूढ़िवादिता की वजह से विकास प्रभावित हो रहा है। आज वैश्वीकरण एवं भूमंडलीकरण की वजह से विश्व सिमट कर रह गया है। तथा एक देश से दूसरे देशों में सांस्कृतिक एवं धार्मिक विभिन्नता में वृद्धि हुई है, ऐसे वातावरण में धार्मिक सहिष्णुता का पालन करना बहुत आवश्यक हो जाता है। यदि देश किसी धर्म विशेष को संरक्षण प्रदान करेगा तो धार्मिक असहिष्णुता का वातावरण उपस्थित होगा। जिससे देश का विकास बाधित होगा। तथा विभिन्न धर्मों के बीच टकराव उत्पन्न होंगे, उपरोक्त परिस्थितियों से बचने के लिये धर्मनिरपेक्षता एक आदर्श राजनीतिक सिद्धान्त तथा मार्ग है।

धर्मनिरपेक्षता तथा धर्म निरपेक्ष राज्य :—धर्मनिरपेक्षता (सेक्यूलरिज्म) शब्द का सबसे पहले प्रयोग बर्मिंघम के जॉर्ज जेकब हॉलीयाक ने सन् 1846 के दौरान अनुभवों द्वारा मनुष्य जीवन को बेहतर बनाने के तौर तरीकों को दर्शाने के लिये किया था। उनके अनुसार :— “आस्तिकता – नास्तिकता और धर्म ग्रन्थों में उलझे बगैर मनुष्य मात्र के शारिरिक, मानसिक, चारित्रिक, बौद्धिक स्वभाव को उच्चतम सम्भावित बिन्दु तक विकसित करने के लिये प्रतिपादित ज्ञान और सेवा ही धर्म निरपेक्षता है ”। जब किसी राज्य (देश) में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं तथा राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान समझा जाता है, व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है तथा ऐसे राज्य में किसी भी धर्म विशेष को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाता है तो राज्य की ऐसी स्थिति को ही धर्मनिरपेक्षता कहते हैं।

धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल या पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता :—

पश्चिमी देशों में धार्मिक वर्चस्ववाद की वजह से एक अलग तरह की धर्मनिरपेक्षता का पालन किया जाता है। इन देशों में एक बात सामान्य है वे न तो धर्मतांत्रिक हैं न किसी खास धर्म की स्थापना करते हैं। पश्चिमी देशों में धर्म तथा राज्य सत्ता के सम्पूर्ण संबंध विच्छेद को धर्मनिरपेक्षता के लिये आवश्यक माना जाता है। राज्य धर्म के किसी भी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और इसी प्रकार धर्म भी राज्य के मामलों में दखल नहीं देगा। धर्म तथा राज्य दोनों के अपने-अपने अलग-अलग क्षेत्र हैं। तथा अलग-अलग सीमायें भी हैं। राज्य सत्ता की कोई नीति धार्मिक तर्क के आधार पर निर्मित नहीं हो सकती इस मॉडल के अर्न्तगत राज्य किसी धार्मिक संस्था को मदद नहीं करेगा। इस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के अन्दर की कमियों में सुधार नहीं कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध धर्म ने कोई कार्यवाही सुनिश्चित की है तो राज्य उस व्यक्ति का संरक्षण नहीं कर सकता है। जैसे धर्म किसी व्यक्ति को मन्दिर के गर्भ गृह में प्रवेश करने से रोकता है तो राज्य इस मामले में मूकदर्शक बना रह सकता है। इस तरह की धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार के लिये कोई जगह नहीं

है। अर्थात् राज्य धार्मिक मामलों में न हीं सुधार कर सकता है न ही कोई टिप्पणी कर सकता है।

धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल :-

यद्यपि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, न ही किसी धर्म विशेष को तवज्जों दिया जाता है। यहाँ सभी धर्म समान है तथा व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता संविधान के द्वारा दी गयी है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है। भारत में राज्य सत्ता धर्म के अन्दर फैली कुरितियों तथा कमियों को दूर कर सकती है अर्थात् सरकार धार्मिक सुधार कर सकती है। सतीप्रथा, बालविवाह उन्मूलन तथा अन्तर्जातीय विवाह पर हिन्दू धर्म द्वारा लगाये गये निषेध को खत्म करने हेतु सरकार ने अनेक कानून बनाये है। इसी प्रकार अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के अन्तर्गत विभिन्न धार्मिक समुदायों के अधिकारों का राज्य संरक्षण करता है। साथ ही अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी संरक्षित किया जाता है।

उपरोक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता तथा पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता एक-दूसरे से भिन्न है।

भारतीय धर्म निरपेक्षता की आलोचना :-

भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अनेक आलोचनायें की जाती है। जिनका विवरण निम्नवत् है :-

01. धर्म विरोधी :- भारतीय धर्मनिरपेक्षता को धर्मविरोधी भी कहकर अक्सर इसकी आलोचना की जाती है। अतएव आलोचना की जाती है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी है।

02. पश्चिम से आयातित :- भारतीय धर्म निरपेक्षता के मॉडल को मूल स्वरूप में नहीं माना जाता है। तथा आलोचना की जाती है कि यह पश्चिम से आयातित मॉडल है, यह पश्चिमी देशों से नकल कर बनाया गया मॉडल है। यह धर्मनिरपेक्षता ईसाइयत से जुड़ी है। अर्थात् यह पश्चिमी चीज है और इसीलिये भारतीय स्थितियों के लिये अनुपयुक्त हैं।

03. अल्पसंख्यकवाद :- भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। जिसकी वजह से अल्पसंख्यकवाद होने का आरोप लगाया जाता है। चूंकि धर्म निरपेक्षता में किसी भी धर्म के लोगों के हितों की रक्षा की अनुमति नहीं होती है। अतः ऐसे में किसी भी धर्म चाहे वह अल्पसंख्यक हो अथवा बहुसंख्यक धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता उनके हितों की पैरवी नहीं कर सकती है। किसी को भी विशेषाधिकार की स्थिति नहीं दी जानी चाहिये चूंकि भारत में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसीलिये भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना की जाती है।

04. अतिशय हस्तक्षेपकारी :- भारतीय धर्मनिरपेक्षता उत्पीड़नकारी है। तथा यह विभिन्न समुदायों तथा संगठनों में अतिशय हस्तक्षेप करती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्यसत्ता समर्थित धार्मिक सुधार की इजाजत देती है। जब भारत में किसी भी धर्म में अन्याय या कुप्रथा जैसी कोई कमी होती है तो उसे राज्य दूर करने का प्रयास करता है। यदि कोई धर्म किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर अत्याचार या अन्याय करता है तो राज्य उस व्यक्ति का संरक्षण करता है। इसी आधार पर भारतीय धर्म निरपेक्षता की आलोचना की जाती है कि यह अतिशय हस्तक्षेपकारी है, दमनकारी है।

05. वोट बैंक की राजनीति :- भारतीय धर्म निरपेक्षता की आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि यह वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती है, भारत में वोट प्राप्त करने के लिये राजनेता संविधान से छेड़छाड़ करते रहते हैं। अर्थात् चुनाव के वक्त वोट मागने के लिये जब जनता के पास जाते हैं तो वो उनके हितों के संरक्षण का वादा करते हैं। और जब सत्ता में आते हैं तो संविधान संशोधन करने से भी नहीं चूकते हैं। अतः आलोचकों के अनुसार भारतीय धर्म निरपेक्षता वोट बैंक की राजनीति से प्रभावित है।

06. भारतीय धर्म निरपेक्षता एक असंभव परियोजना है :- भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि यह एक असंभव परियोजना है। क्योंकि इसमें आर्दशवाद का भाव अधिक है तथा यह बहुत कुछ करना चाहती है। तथा ऐसी समस्या का समाधान करना

चाहती है जिसका समाधान है ही नहीं। हिन्दुओं तथा मुसलमानों में कभी शांति नहीं हो सकती हमेशा दोनों धर्मों के लोग टकराते रहते हैं। तथा एक-दूसरे के प्रति वैमनस्यता का भाव रखते हैं।

कमाल अतातुर्क की धर्मनिरपेक्षता :—उपरोक्त दोनों प्रकार की धर्मनिरपेक्षता से भिन्न एक विशेष प्रकार की धर्मनिरपेक्षता भी सामने आयी है। वह है तुर्की की धर्मनिरपेक्षता तुर्की का शासक मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने इस धर्मनिरपेक्षता का प्रतिपादन किया था। तथा चलन में लाया था। अर्थात् उस पर अमल भी किया। यह धर्मनिरपेक्षता संगठित धर्म से सैद्धान्तिक दूरी बनाने के बजाय धर्म में सक्रिय हस्तक्षेप के जरिये उसके दमन की हिमायत करती है। अर्थात् राज्य सत्ता का धर्म के ऊपर अंकुश या हस्तक्षेपकारी बर्ताव। कमाल अतातुर्क के अनुसार सार्वजनिक जीवन में खिलाफत को समाप्त कर देना चाहिये। उनके अनुसार तुर्की का तब तक विकास या कल्याण नहीं हो सकता जब तक परंपरागत सोच विचार या जीवन शैली को समाप्त करके आधुनिक शैली का अनुसरण न किया जाये। अर्थात् इस प्रकार की धर्म निरपेक्षता को अमल में लाने के लिये अतातुर्क ने आक्रामक ढंग से कदम उठाये। उन्होंने खुद अपना नाम मुस्तफा कमाल पाशा से बदलकर कमाल अतातुर्क कर लिया। (अतातुर्क का अर्थ होता है तुर्कों का पिता) हैट कानून लागू किया। परंपरागत फ़ैज टोपी पर प्रतिबंध लगा दिया। पुरुषों तथा महिलाओं को आधुनिक पश्चिमी पोंशाकों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया गया। तुर्की पंचांग की जगह पश्चिमी (ग्रेगोरिन) पंचांग लाया गया। 1928 में नई तुर्की वर्णमाला को संशोधित लैटिन रूप में अपनाया गया। अर्थात् कमाल अतातुर्क की धर्मनिरपेक्षता परम्परागत रूढ़िवादिता को समाप्त करने पर बल देती है।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में बाधाएँ —:

1. साम्प्रदायिकता
2. जातिवाद
3. साम्प्रदायिक दल
4. सरकार का अहस्तक्षेप
5. सरकार का अलग व्यवहार।

अति महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न —: भारत का संविधान धर्म— निरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। व्याख्या कीजिये।

अथवा

भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है स्पष्ट कीजिये।

अथवा

भारतीय धर्मनिरपेक्षता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजियें।

उत्तर :—एशिया महाद्वीप में अवस्थित भारत एक विशाल देश है। तथा इसकी प्रमुख विशेषता है, इसका धर्म निरपेक्ष होना। अर्थात् भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषतायें भारत को एक सच्चा धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाती है :—

1. भारत का अपना कोई राज्य धर्म नहीं है :—यद्यपि भारत का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ और पाकिस्तान इस्लाम धर्म का राज्य बना, फिर भी भारत एक धार्मिक राज्य नहीं बना अर्थात् भारत का कोई भी सरकारी धर्म नहीं है।
2. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार :—भारत में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 03 में अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता दी गयी है। अनुच्छेद 25 के अनुसार भारत के सब नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की आजादी है।
3. प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष शब्द का प्रयोग :—42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके धर्म निरपेक्ष शब्द अंकित करके भारत को स्पष्ट रूप से धर्म—निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है।
4. राज्य की नजर में सभी धर्म एक समान है :—भारत में राज्य की दृष्टि में सभी धर्म एक समान है। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है।

5. धार्मिक संस्थायें स्थापित करने का अधिकार :—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार सभी धर्मों को धार्मिक संस्थायें स्थापित करने का अधिकार दिया गया है।

6. धार्मिक अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार :—भारत में धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 29 तथा 30 के अन्तर्गत कुछ सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार दिये गये।

प्रश्न —: पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता तथा भारतीय धर्मनिरपेक्षता में प्रमुख अन्तर क्या हैं ?

उत्तर :—पश्चिमी धर्म—निरपेक्षता तथा भारतीय धर्म—निरपेक्षता में निम्नलिखित अन्तर है :—

पश्चिमी धर्म—निरपेक्षता	भारतीय धर्म—निरपेक्षता
1. राज्य और धर्म का दक—दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करने की नीति।	1. राज्य सत्ता समर्थित धार्मिक सुधार की अनुमति।
2. धर्म के अनेक पंथों के बीच समानता पर जोर।	2. अलग—अलग धार्मिक सुदायों के बीच समानता एक मुख्य सरोकार होना।
3. समुदाय आधारित अधिकारों पर कम ध्यान देना।	3. अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर अधिक ध्यान देना।
4. व्यक्ति और उनके अधिकारों को केन्द्रीय महत्व दिया जाना।	4. व्यक्ति और धार्मिक समुदायों दोनों के अधिकारों का संरक्षण।

प्रश्न —: सैद्धान्तिक दूरी किसे कहते हैं ?

उत्तर :—सैद्धान्तिक दूरी का अर्थ होता है धर्म तथा राज्यसत्ता का अलगाव या पृथकतावाद। धर्मनिरपेक्षता के अन्तर्गत राज्य को किसी भी धर्म में सक्रिय हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। अर्थात् धर्म तथा राज्यसत्ता में उचित दूरी बनी रहनी चाहिये।

अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न 1:— धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है ? इसके मार्ग में कौन-कौन सी बाधाएँ हैं ?

प्रश्न 2:— कमाल अतातुर्क की धर्मनिरपेक्षता क्या है ?

प्रश्न 3:— धर्म का राज्य व्यवस्था पर पढ़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिये ?

प्रश्न 4:— भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है ? स्पष्ट कीजिये ।

प्रश्न 5:— भारतीय धर्मनिरपेक्षता का जोर धर्म और राज्य के अलगाव पर नहीं वरन् उससे अधिक किन्हीं बातों पर है । इस कथन को समझाइये ?

प्रश्न 6:— भारतीय धर्मनिरपेक्षता तथा पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता पर अन्तर स्पष्ट कीजिये ?

✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱

ट्यूटर :- गणेश सिंह खुन्नू प्रवक्ता राज0 विज्ञान बापू रा0इ0का0 नारायणनगर ।

ई-मेल :-gs330533@gmail.com

समाप्त